न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-3/2010

1- बलबीर पुत्र
2- भवानी शंकर पुत्र
3- उगाशंकर पुत्र
4-तेरसी देवी पत्नी

स्व0 चिरंजीलाल जांगिड निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

--अपीलान्टस्--

---बनाम--

1- मोहरसिंह पुत्र चुन्नीलाल
2- मु0 लिछमा देवा चुन्नीलाल--मृतक--
3- जगनाराम पुत्र चेताराम-- मृतक
3/1-फुलादेवी पत्नी जगनाराम
4- रामनिवास पुत्र स्व0 लखमीचन्द
5- सीताराम पुत्र लखमीचन्द
6- इन्द्रावती पत्नी स्व0 लीलाधर
7- अजय पुत्र स्व0 लीलाधर
8- विजय पुत्र स्व0 लीलाधर

जाति जांगीड निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

9-नत्थूराम
10- राजेन्द्रकुमार
11- मदनलाल

पुत्रगण बजरंग जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

12- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

13- कृष्णा देवी पत्नी प्रभूदयाल पुत्री स्व0 चिरंजीलाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

14- सन्तोषदेवी पत्नी अंगदकुमार पुत्री स्व0 चिरंजीलाल निवासी खातीपुरा पोस्ट रंवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

15- अनितादेवी पत्नी अनिलकुमार पुत्री स्व0 चिरंजीलाल निवासी हिवेलियन स्ट्रीट (ईस्ट) एफल फेट गेट पोस्ट ऐलिफेट गेट चेन्नई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

16-रतनादेवी पत्नी रामधन पुत्री स्व0 चिरंजीलाल निवासी लटू पोस्ट कोलिड़ा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

17-कलावतीदेवी पत्नी मदनलाल पुत्र चिरंजीलाल निवासी लटू पोस्ट कोलिडा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

18-रमाकान्त पुत्र बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

19-बाबुलाल पुत्र बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

20-मगता पत्नी अशोककुमार जाति जांगिड निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर ।

21-बस्तीदेवी पत्नी लखमीचन्द जांगिड निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
8-6-2004 द्वारा अदालत
हाजा ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री कृष्णाकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री मुस्ताक खां एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 7.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि लखमीचन्द आदि ने योग्य अदालत मातहत मे दावा घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती का आराजी ख0नं0 385 एकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0नं0 169 एकबा 0.86 हैक्टर वाके ग्राम हीरवा का पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट/वादी ने अपील संख्या-74/2003 अदालत हाजा मे पेश की। जिसकी सुनवाई करते हुये दिनांक 8-6-2004 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

अपील खारिज कर दी । इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी अपीलान्ट संख्या-3 के पुत्रगण एवं पत्नी ने यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत की किया ।

प्रार्थीगण अपीलान्ट चिरंजीलाल के लिग्ल वारिसान है। अपीलान्ट चिरंजीलाल की मृत्यु दिनांक 27-5-2003 को हो गई ।अपीलान्ट लखमीचन्द की भी मृत्यु हो गई जिसके वारिसान को अनावेदक संख्या-4 से 8 बनाया गया । अदालत हाजा ने अपील दिनांक 8-6-2004 खारिज कर दी। जिसमें प्रार्थीगण उपस्थित नहीं रहे। प्रार्थीगण को मुकदमें की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट चिरंजीलाल भी उपस्थित नहीं रहा ।प्रार्थीगण को अदालत मातहत के निर्णय एवं अपील के निर्णय की जानकारी कभी नहीं रही । प्रार्थीगण का इस भूमि में 1/4 हिस्सा है । जिसके विकास के लिये किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की योजना बनाकर ऋण के कागज बनाने के लिये दिनांक 21-10-2009 को पटवारी ह.का से मिले तब प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण की खातेदारी नहीं है। जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 23-10-2009 को समस्त नकले लेकर यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पुनः ग्रहण कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देकर अपील का निर्णय किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थी--गण के पिता/पति चिरंजीलाल का देहान्त हो गया । चिरंजीलाल के वारिसान को अपील के निर्णय से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अपील के निर्णय से पूर्व लखमीचन्द अपीलान्ट संख्या-1 का भी देहान्त हो चुका था । अपीलान्ट के पिता चिरंजीलाल ने कभी भी विवादित आराजी के प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और न ही अपीलान्ट को विवादित आराजी के प्रकरण के बारे में पूर्व में किसी प्रकार की जानकारी रही है । प्रार्थीगण ने तो

तब पटवारी ह०का ने विवादित आराजी पर हमारा कोई नाम नहीं बताया जबकि विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के हम रेकार्डेड एवं काबिज खातेदार काश्तकार है । पटवारी ह.का द्वारा जानकारी दिये जाने पर प्रार्थीगण ने आवश्यक नकले प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया है । अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत 0000 हाजा का निर्णय निरस्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देकर अपील का पुन: निर्णय पारित किया जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र चिरंजीलाल के वारिसान द्वारा पेश किया गया है । अपीलान्ट सं0-01 व 2 चिरंजीलाल के भाई थे उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । इतना ही नहीं जब चिरंजीलाल की दौराने अपील मृत्यु होना बता रहे हैं तो अपीलान्ट संख्या-1 व 2 दोनो चिरंजीलाल के सगे भाई थे उन्होने कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-3 सीपीसी एवं आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश क्यो नहीं किया। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 8-6-2004 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कोई अपील पेश नहीं की है ।अदालत हाजा ने अपील में सभी तथ्यों पर गौर करते हुये अपना निर्णय कानूनी बिन्दूओं पर विवेचन कर पारित किया है ।यह प्रार्थना पत्र तब पेश किया जाता है जब अपील नियत सुनवाई पर थी ओर आवाज लगाने पर पक्षकार हाजिर नहीं आया । यह प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य ही नहीं है । प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील का निर्णय दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया है । चिरंजीलाल का देहान्त हो गया उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश करने की जिम्मेदारी अपीलान्टस की ही थी वो उन्होने नही दी ।जबकि अपीलान्ट संख्या-1 व 2 चिरंजीलाल के सगे भाई थे । अब 0 प्रार्थीगण चिरंजीलाल के वारिसान का यह कहना कि हमे सुनवाई का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पदेन अधिकारी एवं

अवसर नहीं दिया किसी भी स्थिति से मानने योग्य नहीं है । अदालत मातहत दिनांक 8-6-2004 को जो आदेश पारित किया है उसमें हम इस प्रार्थना पत्र के आधार पर विद्वान अप्रार्थीगण के कथनों के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षे -प उचित नहीं मानते है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा विद्वान अदालत हाजा का निर्णय कदनांक 8-6-2004 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 7.2.2018 को सुनाया गया।

7/2/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर